प्रेस नोट जनपद मुरादाबाद

श्री सतपाल अंतिल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक **25-05-2025** को जनपद मुरादाबाद से निम्न कार्यवाही की गयीः-

1-थाना कटघर पुलिस द्वारा जान से मारने की नियत से फायर करने के 02 अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया।

अवगत कराना है कि दिनांक 24.05.2025 को रात्रि में वादी श्री नईम अहमद खान पुत्र स्व0 श्री शकील अहमद खान निवासी पीतलबस्ती थाना कटघर जनपद मुरादाबाद ने अभियुक्तगण मोहसिन चौधरी व अज्ञात व्यक्तियो द्वारा रूपयो के लेनदेन को लेकर वादी के साथ गाली गलौच कर जान से मारने की नियत से फायर करने के सम्बन्ध में थाना थाना कटघर पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना कटघर पर मु0अ0सं0 302/2025 धारा 352/109(1) बीएनएस बनाम मोहसिन चौधरी आदि के दर्ज किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी कटघर, मुरादाबाद के नेतृत्व व पर्यवेक्षण में अभियुक्तगण की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार थाना कटघर , मुरादाबाद व चौकी प्रभारी पीतलबस्ती उ0नि0 कृष्ण कुमार मय पुलिस फोर्स के दबिश व चैकिगं की जा रही थी। विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 25.05.2025 को थाना कटघर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में नामित/प्रकाश में आये 02 अभियुक्तगण 1.मोहसीन पुत्र नन्हे निवासी ग्राम नियामतपुर इकरोटिया थाना मूंढापाण्डे जनपद मुरादाबाद, 2.अकरम पुत्र छिद्दू निवासी ग्राम गोविन्दपुर खुर्द थाना मूंढापाण्डे जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त मोहसीन उपरोक्त के कब्जे उपरोक्त घटना में प्रयुक्त अवैध एक देशी पिस्टल बरामद की गयी। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. मोहसीन पुत्र नन्हे निवासी ग्राम नियामतपुर इकरोटिया थाना मूंढापाण्डे जनपद मुरादाबाद।
2. अकरम पुत्र छिद्दू निवासी ग्राम गोविन्दपुर खुर्द थाना मूंढापाण्डे जनपद मुरादाबाद।

बरामदगी-

1- घटना में प्रयुक्त अवैध एक देशी पिस्टल

आपराधिक इतिहास अभियुक्तगणः-

अभियुक्त मोहसीनः-

1- मु0अ0सं0 292/2024 धारा 127(2)/308(2)/351(2) बीएनएस व 4/25 आयुध अधि0 थाना नागफनी, मुरादाबाद
2-मु0अ अ0सं0 302/2025 धारा 352/109(1) बीएनएस थाना कटघर, मुरादाबाद।

अभियुक्त अकरमः-

1-मु0अ0सं0 255/2018 धारा 135 विद्युत अधिनियम थाना मूण्डापाण्डे , मुरादाबाद
2-मु0अ0सं0 302/2025 धारा 352/109(1) बीएनएस थाना कटघर, मुरादाबाद

गिरफ्तार करने वाली टीम थाना कटघर -

1- प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार थाना कटघर, जनपद मुरादाबाद।

2- उ0नि0 कृष्ण कुमार थाना कटघर, जनपद मुरादाबाद।

3- उ0नि0 मयंक शर्मा थाना कटघर, जनपद मुरादाबाद।

4- हे0का0 अरूण राणा थाना कटघर, जनपद मुरादाबाद।

5- हे0का0 ललित थाना कटघर, जनपद मुरादाबाद।

6-हे0का0 राहुल थाना कटघर, जनपद मुरादाबाद।

7- का0 मनीष थाना कटघर, जनपद मुरादाबाद।

2- थाना मूढ़ापाण्डें पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत 06 लोगो को अपहरण करने वाले 02 अभियुक्तगण को पुलिस मुठभेड में गिरफ्तार कर कब्जे से 02 गाडियाँ व अवैध असलहें तथा 04 अपर्हत के दौराने मैडिकल परीक्षण पेट में पीली धातु कुल वजन करीब 01 किलो किये बरामद।

सादर अवगत कराना है कि दिनांक 23.05.2025 को समय लगभग 14:00 बजे वादी जुल्फेकार अली पुत्र अब्दुल कदीर निवासी मोहल्ला नज्जूपुरा, टांडा, जनपद रामपुर द्वारा यूपी-112 पर सूचना दी गई कि थाना मूंढापाण्डे क्षेत्रांतर्गत पुराना टोल, हाईवे के पास दिल्ली से आ रही अर्टिगा कार (जिसमें कुल 7 व्यक्ति सवार थे) को बोलेरो कार व स्विफ्ट डिजायर में सवार 5-6 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अवैध असलहे (तमंचों) के बल पर रोका गया और कार सवार व्यक्तियों का अपहरण कर जंगल की ओर ले गये है। वादी जुल्फेकार मौका पाकर वाहन से कूदकर एक आवासीय क्षेत्र में पहुंचा और लोगों की सहायता से यूपी-112 पर कॉल कर सूचना दी।

इस सूचना पर थाना प्रभारी मूंढापाण्डे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे तथा घटना के संबंध में वादी से जानकारी प्राप्त कर वादी को पुलिस से साथ थाने भेजा गया। उक्त घटना के संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना मूँढापाण्डे पर मु0अ0सं0-201/2025, धारा 126(2)/140(1) BNS बनाम अज्ञात अभियुक्तगण पंजीकृत किया गया।

थाना प्रभारी मूँढापाण्डे मय पुलिस बल के साथ अपहर्ताओं की सक्रियता से तलाश व चेकिंग की जा रही थी, इसी दौरान रौण्डा-झोण्डा चौकी क्षेत्र अंतर्गत भईयानगला रोड पर दो संदिग्ध कारें आती दिखाई दीं। रोकने का इशारा करने पर कार सवार बदमाश भागने लगे, लेकिन उनकी कारें रोड किनारे फंस गईं। बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की, जिस पर पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की गई, जिससे दो बदमाशों के पैरों में गोली लगी, जबकि अन्य बदमाश मौके से फरार हो गए। अपहृत अजरुद्दीन, जुल्फेकार, मुत्तलिब और शाने आलम आदि को सकुशल बरामद किया गया। घायल बदमाशो ने 1- तौफिक पुत्र मोहम्मद रफी निवासी रामपुर दौराहा, थाना कटघर, मुरादाबाद, 2- रजा पुत्र फरमान निवासी हरियावाला, इस्लामनगर, काशीपुर, उधमसिंहनगर (उत्तराखंड) बताया। जिनके कब्जे से अवैध 02 तमंचे (315 बोर), 02 खोखा कारतूस (तमंचे में फंसे हुए), 04 जिन्दा कारतूस, बोलेरो कार (UK18B2983), स्विफ्ट डिजायर कार (UP14DT 7852) बरामद की गयी। घायल बदमाशों को उपचार हेतु सीएचसी मूंढापाण्डे में भर्ती कराया गया। पुलिस टीम पर फायरिंग व बरामदगी के संबंध में मु0अ0सं0-202/25, धारा 109 BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

पंजीकृत अभियोगः-

1- मु0अ0सं0-201/2025, धारा 126(2)/140(1) BNS

2-मु0अ0सं0-202/25, धारा 109 BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट

संक्षिप्त पूछताछः-

पुलिस पूछताछ पर अभियुक्तगण ने बताया कि अपहृत व्यक्तियों के पेट में सोना छिपा हुआ है, जिसे वे तस्करी कर सऊदी अरब से लाए थे, और हम लोगो ने सोने के लालच में उनका अपहरण किया था।

इसी क्रम में अपहृत सभी व्यक्तियों का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया, जिसमें 04 व्यक्तियों

1.मुत्तलीब पुत्र मौ0 सुलेमान
2-अजरूद्दीन पुत्र मौ0 फारूख
3.शाने आलम पुत्र सगीर अहमद
4.जुल्फेकार पुत्र अब्दुल कदीर निवासीगण कस्बा व थाना टाण्डा जनपद रामपुर

के पेट में पीली धातु होने की पुष्टि हुई है। जिसमें परीक्षण जारी है, अब तक कुल 29 पीली धातु के कप्सूल जिनका कुल वजन करीब 01 किलो पीली धातु बरामद हुयी है । इस संबंध में कस्टम विभाग को सूचना दी गयी है। प्रकरण में अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं विधिक कार्रवाई प्रचलित है।

गिरफ्तार/ घायल अभियुक्तगण:-

1- तौफिक पुत्र मोहम्मद रफी निवासी रामपुर दौराहा, थाना कटघर, मुरादाबाद
2- रजा पुत्र फरमान निवासी हरियावाला, चौराहा वसई रोड थाना कुण्डा काशीपुर उत्तराखण्ड ।

अभियुक्तगण के कब्जे से बरामदगी:-

1- अवैध 02 तमंचे (315 बोर),
2- 02 खोखा कारतूस (तमंचे में फंसे हुए),
3- 04 जिन्दा कारतूस,
4- बोलेरो कार (UK18B2983),
5- स्विफ्ट डिजायर कार (UP14DT 7852)

अपहृत व्यक्तियों के चिकित्सकीय परीक्षण से बरामदगी:-

कुल 29 पीली धातु के कप्सूल जिनका कुल वजन करीब 01 किलो पीली धातु, जिसमें परीक्षण जारी है।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम:-

1- प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार शर्मा थाना मूढापाण्डे जनपद मुरादाबाद।
2- निरीक्षक अपराध जितन्द्र कुमार सिंह थाना मूढापाण्डे जनपद मुरादाबाद।
3- उ0नि0 दीपक राणा थाना मूढापाण्डे जनपद मुरादाबाद।
4- उ0नि0 धर्मेन्द्र सिंह थाना मूढापाण्डे जनपद मुरादाबाद।
5- उ0नि0 उदयवीर सिंह थाना मूढापाण्डे जनपद मुरादाबाद।
6- हे0का0 राहुल मलिक थाना मूढापाण्डे जनपद मुरादाबाद।
7- हे0का0राजीव कुमार थाना मूढापाण्डे जनपद मुरादाबाद।
8- हे0का0 इम्तियाज खां थाना मूढापाण्डे जनपद मुरादाबाद।
9- हे0का0 राजकुमार थाना मूढापाण्डे जनपद मुरादाबाद।
10- हे0का0 पप्पू सिंह थाना मूढापाण्डे जनपद मुरादाबाद।
11- का0 संजीत मलिक थाना मूढापाण्डे जनपद मुरादाबाद।

3- अवैध चरस के साथ 01 आरोपी को थाना मुगलपुरा पुलिस ने किया गिरफ्तार ।

अवगत कराना है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध एंव अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने व अवैध मादक पदार्थो के निर्माण / तस्करी में संलिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 25.05.2025 को **उ0नि0 ओम शुक्ला** थाना मुगलपुरा द्वारा मय हमराही पुलिस बल के अभियुक्त इमरान पुत्र असलम निवासी जीआईसी थाना मुगलपुरा जनपद मुरादाबाद को अवैध 550 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना मुगलपुरा पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0- 95/2025 धारा- 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोगः-

मु0अ0सं0- 95/2025 धारा- 8/20 एनडीपीएस एक्ट

गिरफ्तार अभियुक्तः-

इमरान पुत्र असलम निवासी जीआईसी थाना मुगलपुरा जनपद मुरादाबाद

बरामदगीः-

अवैध 550 ग्राम चरस

अपराधिक इतिहासः-

1- मु0अ0सं0- 47/20 धारा 188/269 भादवि0
2-मु0अ0सं0- 203/23 धारा ¾ सार्व0 जुआ अधि0

4- थाना ठाकुरद्वारा पुलिस द्वारा सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर धोखाधडी करके 05 लाख रूपये लेने व रूपये वापस मांगने पर गाली गलौच, जाति सूचक शब्द कहने तथा जान मारने की धमकी देने के आरोपी को गिरफ्तार किया गयाः-

अवगत कराना है कि दिनांक 23.05.2025 को वादिनी निवासनी थाना ठाकुरद्वारा क्षेत्रान्तर्गत ने आरोपी द्वारा वादिनी के साथ धोखाधडी करके उत्तर प्रदेश यूनीवर्सिटी मेडिकल सांइस सैफई इटावा मे नर्सिंग आफिसर के पद पर सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर 05 लाख रूपये लेने व वादिनी को उत्तर प्रदेश यूनीवर्सिटी मेडिकल सांइस सैफई इटावा का फर्जी नियुक्ति पत्र देने जिसकी जानकारी होने पर आरोपी से पैसे मांगने पर आरोपी द्वारा वादिनी को 1 लाख 96 हजार रूपये का फर्जी चैक देने व आवेदिका के भाई रिशव कुमार के द्वारा आरोपी से पैसे मांगने पर गाली गलौच, जाति सूचक शब्द कहने तथा जान मारने की धमकी देने के सम्बन्ध मे थाना ठाकुरद्वारा पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0- 204/2025 धारा-318(4)/338/336(3)/340(2)/352/351(3) बी0एन0एस0 व 3(1)द/3(1)ध/3(2)V एससी एसटी एक्ट बनाम आदित्य कुमार यादव के पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 25.05.2025 को थाना ठाकुरद्वारा पुलिस द्वारा अभियुक्त आदित्य कुमार यादव पुत्र अरविन्द कुमार निवासी ग्राम शादीपुर पोस्ट कोठी खिदमतपुर जनपद अमरोहा को गिरफ्तार किया गया।

पंजीकृत अभियोगः-

मु0अ0सं0- 204/2025 धारा-318(4)/338/336(3)/340(2)/352/351(3) बी0एन0एस0 व 3(1)द/3(1)ध/3(2)V एससी एसटी एक्ट।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

आदित्य कुमार यादव पुत्र अरविन्द कुमार निवासी ग्राम शादीपुर पोस्ट कोठी खिदमतपुर जनपद अमरोहा।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1-उ0नि0 सतेन्द्र कुमार बालियान थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद।

2-का0 अंकित मित्तल थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद।

5- थाना कोतवाली पुलिस द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी को गिरफ्तार किया गयाः-

अवगत कराना है कि दिनांक 06.05.2025 को वादिनी निवासनी थाना कटघर क्षेत्रान्तर्गत ने आरोपी द्वारा वादिनी को शादी का झांसा देकर शारीरिक सम्बंध बनाने के संबंध में थाना कोतवाली नगर पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0- 47/2025 धारा- 69 बीएनएस बनाम नेतराम के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 25.05.2025 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अभियुक्त नेतराम पुत्र मेवाराम निवासी डाक बगंला आलम सराय चंदौसी रोड थाना कोतवाली जनपद सम्भल को गिरफ्तार किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोगः-

मु0अ0सं0- 47/2025 धारा- 69 बीएनएस।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

नेतराम पुत्र मेवाराम निवासी डाक बगंला आलम सराय चंदौसी रोड थाना कोतवाली जनपद सम्भल।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1-म0उ0नि0 श्रीमती सुनीता चौधरी
2-हे0का0 विजय कुमार

4-जनपदीय पुलिस द्वारा शांति व्यवस्था भंग करने में 18 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण, कानून एवं शान्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत जनपदीय पुलिस द्वारा 18 व्यक्तियों को संज्ञेय अपराध कारित करने से रोकने एवं परिशान्ति कायम रखने हेतु अन्तर्गत धारा-170/126/135 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 में हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय भेजा गया।

थाना कटघर-03, थाना मझोला-04, थाना सिविल लाईन्स-02, थाना पाकबड़ा-01, थाना भगतपुर-02, थाना ठाकुरद्वारा-02, थाना मैनाठेर-02, थाना कुन्दरकी-02